न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 502/2022

अनवान : –

1. मुकेश कुमार पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला त0 नोहर – वादी

बनाम्

1. मंगलूराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला त0 नोहर।
2. रामलाल पुत्र मंगलुराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला त0 नोहर।
3. भूपसिंह पुत्र मंगलूराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला त0 नोहर।
4. सन्तोष देवी पत्नी लिछमणसिंह जाति जाट निवासी ढण्ढेला त0 नोहर।
5. एकता पुत्री लिछमणसिंह जाति जाट निवासी ढण्ढेला त0 नोहर।
6. प्रमिला पुत्री लिछमणसिंह जाति जाट निवासी ढण्ढेला त0 नोहर।
7. सुनीता पुत्री मंगलूराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला त0 नोहर।
8. भूरी देवी पुत्री मंगलूराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला त0 नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :–श्री रविन्द्र गोदारा **वादी**
भरतसिंह बैनीवाल **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 27.12.2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ढण्ढ़ेला बारानी के खाता सं0 156/3 के खसरा सं0 219/1 की 2.6530है0 खसरा स0 229/2 की 1.9350है0 खसरा सं0 230/2 की 1.7720है0 इस प्रकार कुल 6.3600है0 प्रतिवादी सं0 1 मंगलूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 8 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी [illegible] ता 8 ने दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना जवाब [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 9 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:02:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

साक्ष्य वादी में वादी मुकेश कुमार के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी को घरेलु जरूरतों के हिसाब से केसीसी आदि की आवश्यकता रहती है जिसके लिए अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। इस हेतु प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट कर वाद की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश किया है। अतः मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्रि किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा ढण्ढ़ेला बारानी के खाता सं0 156/3 के खसरा सं0 219/1 की 2.6530है0 खसरा स0 229/2 की 1.9350है0 खसरा सं0 230/2 की 1.7720है0 इस प्रकार कुल 6.3600है0 प्रतिवादी सं0 1 मंगलूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 मंगतुराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। चूंकि वादी के पिता लिछमणराम का पूर्व में देहान्त हो चुका है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली में सलंग्न है जिसके जायज वारिसान में वादी के साथ–साथ प्रतिवादी सं0 4 ता 6 है। प्रतिवादी सं0 5 व 6 ने अपना हक हिस्सा अपने भाई वादी मुकेश कुमार व प्रतिवादी सं0 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है व प्रतिवादी सं0 7 व 8 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वादी वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढ़ेला बारानी के खाता सं0 156/3 के खसरा सं0 219/1 की 2.6530है0 खसरा स0 229/2 की 1.9350है0 खसरा सं0 230/2 की 1.7720है0 इस प्रकार कुल 6.3600है0 प्रतिवादी सं0 1 मंगलूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 मंगलूराम की बजाय वादी मुकेश कुमार व प्रतिवादी सं0 4 सन्तोष देवी संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 मंगलूराम प्रतिवादी सं0 2 रामलाल प्रतिवादी सं0 3 भूपसिंह 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा वाद–विवाद नही हो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:02:59 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 502/2022

अनवान : –

1. मुकेश कुमार पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला त0 नोहर – वादी

बनाम्

1. मंगलूराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला त0 नोहर।
2. रामलाल पुत्र मंगलुराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला त0 नोहर।
3. भूपसिंह पुत्र मंगलूराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला त0 नोहर।
4. सन्तोष देवी पत्नी लिछमणसिंह जाति जाट निवासी ढण्ढेला त0 नोहर।
5. एकता पुत्री लिछमणसिंह जाति जाट निवासी ढण्ढेला त0 नोहर।
6. प्रमिला पुत्री लिछमणसिंह जाति जाट निवासी ढण्ढेला त0 नोहर।
7. सुनीता पुत्री मंगलूराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला त0 नोहर।
8. भूरी देवी पुत्री मंगलूराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला त0 नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं भरतसिंह बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डीक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढ़ेला बारानी के खाता सं0 156/3 के खसरा सं0 219/1 की 2.6530है0 खसरा स0 229/2 की 1.9350है0 खसरा सं0 230/2 की 1.7720है0 इस प्रकार कुल 6.3600है0 प्रतिवादी सं0 1 मंगलूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 मंगलूराम की बजाय वादी मुकेश कुमार व प्रतिवादी सं0 4 सन्तोष देवी संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 मंगलूराम प्रतिवादी सं0 2 रामलाल प्रतिवादी सं0 3 भूपसिंह 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा वाद–विवाद नही हो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:02:59 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर